रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 793] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 19, 2009/वैशाख 29, 1931
No. 793] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 19, 2009/VAISAKHA 29, 1931

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मई, 2009

का.आ. 1277(अ).—यत: दिल्ली मास्टर प्लान-2021 में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों का प्रस्ताव है, उन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) के खण्ड-44 के प्रावधानों के अनुसार सार्वजनिक सूचनाओं के रूप में दिनांक 10-1-2009 के सं. का.आ. 111 (अ) और सं. का.आ. 112(अ) और दिनांक 20-1-2009 के शुद्धि पत्र सं. का.आ. 207 (अ) द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया था जिसमें उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उप-खण्ड (3) द्वारा यथा अपेक्षित उक्त नोटिस की तारीख के तीस दिन के भीतर आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए थे ।

2. यत: प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में आपत्तियों/सुझावों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विचार किया गया; और

3. यत: केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात दिल्ली मास्टर प्लान 2021 को संशोधित करने का निर्णय लिया है ।

4. अत:, अब उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उप-खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त दिल्ली मास्टर प्लान 2021 में संशोधन करती है :—

संशोधन

क्र. सं.	पृष्ठ सं.	दि.मु.यो. 2021 का पैरा/खण्ड सं.	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	26	उप पैरा 4.2.3.3 शहरी गरीबों के लिए नए आवास	इस उप पैरा में, "समूह आवास के विकासकर्ता सुनिश्चित करेंगे कि एफएआर का न्यूनतम 15% अथवा आवासीय इकाईयों का 35%, जो भी अधिक हो, का निर्माण सामुदायिक सेवा कार्मिकों/आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और निम्न आय वर्गों के लिए हो" वाक्य के बाद निम्नलिखित वाक्य जोड़ा जाएगा :- "केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और अन्य सरकारी अभिकरणों के आवासीय विकासकर्ता को समाज सेवी कर्मियों/आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और निम्न आय वर्गों के लिए आवासीय इकाईयों के फर्शी तल अनुपात या आवासीय इकाईयों की अपेक्षा का पालन करने की आवश्यकता नहीं है ।"

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	34	उप पैरा 4.4.3 ख (V)	इस उप पैरा के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा :— " यह 15% फर्शी तल अनुपात अथवा समाज सेवी कर्मियों/आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और निम्न श्रेणी के आवासों की आवासीय इकाईयों का 35% उपर्युक्त (i) (क), (ख) और (ग) में वर्णित 200 अनुमेय फर्शी तल अनुपात और सघनता के अतिरिक्त होगा । केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और अन्य सरकारी अभिकरणों के आवासीय विकासकर्ता को समाज सेवी कर्मियों/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और निम्न आय वर्गों के लिए आवासीय इकाईयों के फर्शी तल अनुपात या आवासीय इकाईयों की अपेक्षा का पालन करने की आवश्यकता नहीं है ।"

[सं. के-12011/11/2008-डीडी Iबी]
[सं. के 20013/1/2008-डीडी I बी]

पी. के.सांतरा, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT
(Delhi Division)
NOTIFICATION

New Delhi, the 19th May, 2009

S.O. 1277(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi-2021 as mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notices vide No. S.O. 111 (E) and No. S.O. 112 (E), both dated 10-1-2009 and Corrigendum No. S.O. 207 (E) dated 20-1-2009 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas objections/suggestions with regard to the proposed modifications have been considered by the Delhi Development Authority; and

3. Whereas the Central Government has, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi-2021.

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modifications in the said Master Plan for Delhi-2021 with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazette of India.

MODIFICATION

S. No.	Page No.	Para/Clause No. of MPD-2021	Modification
1.	22	Sub-para 4.2.3.3 New Housing for Urban Poor	In this Sub-para, after the sentence "The developers of group housing shall ensure that minimum 15% of FAR or 35% of the dwelling units, whichever is more, are constructed for Community Service Personnel/ EWS and lower income category", the following sentence shall be added :— "Employer Housing of Central Government, State Government and other Government Agencies are not required to follow the requirement of FAR or Dwelling Units for Community Service Personnel/EWS and lower income category."
2.	28	Sub-Para 4.4.3B(v)	At the end of this Sub-para, the following shall be added:— "This 15% FAR or 35% of the Dwelling Units for Community Service Personnel/EWS and lower category housing would be over and above 200 Permissible FAR and density mentioned at (i) (a), (b) & (c) above. Employer Housing of Central Government, State Government and other Government Agencies are not required to follow the requirement of FAR or Dwelling Units for Community Service Personnel/EWS and lower income category."

[No. K-12011/11/2008-DDIB]
[No.K-20013/1/2008-DDIB]
P.K. SANTRA, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.